असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

01 अप्रील, 2016

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बेगूसराय जिला के बछवाड़ा प्रखंड स्थित सदौली बलान पदी पर पुल का निर्माण करावे ''।

श्री शैलेश कुमार:- महोदय,अभिस्तावित स्थल के अप स्टीम में 6 कि0मी0 की दूर पर उच्चस्तरीय पुल तथा डाउन स्टीम में 2.5 कि0मी0 की दूरी पर स्क्रू पाईल पुल पूर्व से निर्मित है। वर्णित स्थल पर प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अत: माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे उक्त संकल्प को वापस लेने की कृपा करें।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

श्री रामदेव राय:- महोदय, कुल गलत जवाब है और आप समझ लीजिये कि 10 वाँ बार यह होगा वापस लेने का सवाल, 10 बार इस विधान सभा में इस पुल के बारे में आश्वासन दिया जा चुका है। विगत सत्र में भी माननीय मंत्री जी आश्वासन दे चुके हैं,फिर भी आप कहते है कि दो किलोमीटर पर पुल है, मैं चैलेंज करता हूँ, यह गलत जवाब है, आपका विभाग इसकी समीक्षा कर जवाब नहीं भेजता है,केवल आप समझते हैं कि सदस्य लोग वापस कर ही लेंगे और काम समाप्त, तो यह बात होने वाली नहीं है.....

अध्यक्ष:- आप वापस कर लीजिये।

श्री रामदेव राय:- हम वापस क्यों करेंगे, आप जवाब दीजिये।

श्री शैलेश कुमार:- हम इसकी जांच करवा लेंगे।

अध्यक्ष:- माननीय मंत्री जी कह रहे है, आपने जो कहा है कि गलत जवाब है,उसकी वह विभाग से जांच करा लेंगे।

श्री रामदेव राय:- क्या इस जांच में मुझको रखेंगे ?

अध्यक्ष:- माननीय सदस्य को भी बुला लीजियेगा।

श्री शैलेश कुमार:- महोदय, ठीक है।

श्री रामदेव राय:- मैं अपना प्रस्ताव को वापस लेता हूँ।

अध्यक्ष:- सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी का संकल्प वापस हुआ।

<u>क्रमांक-108, श्रीमती लेशी सिंह ।</u>

श्रीमती लेशी सिंह:- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि:-

''यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह पिछड़ा वर्ग अनुसूची-1 में शामिल मारकण्डेय जाति का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक तथा राजनीतिक स्थिति का अध्ययन कराकर अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल करावे।''

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादवः- महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि किसी जाति विशेष को बिहार के हेतु अधिसूचित अनूसूचित जनजाति की सूची में समावेशन, विलोपन संबंधी विषय भारत सरकार के क्षेत्राधिकार में है। मारकण्डेय जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किये जाने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अतः माननीय सदस्या से अनुरोध है कि वे कृपया अपना प्रस्ताव को वापस लें।

श्रीमती लेशी सिंहः-माननीय अध्यक्ष महोदय,जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि भारत सरकार के स्तर पर विचाराधीन है यह मामला,यह वहाँ से होना है, तो मैं बता दूं कि अभी हाल ही में सरकार ने कई एनेक्सर-1 के जाति को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है तो यह मारकण्डेय जाति जो है,इसका टाईटल मुनि है,यह सामाजिक रुप से काफी पिछड़ा है महोदय और यह महादलित के समान है और मजदूरी करता है,महादलित में भी जो ऋषि होता है,कहीं मांझी लिखाता है,हमलोगों के इलाके में महादलित मुनि भी टाईटल है, इसलिए इनका स्थिति बहुत ही खराब है,इसलिए इनका सामाजिक स्थिति ये मजदूरी करते हैं और इनकी राजनीतिक स्थिति यह है महोदय कि मात्र मेरे जानकारी में महोदय, इस जाति की स्थिति बहुत ही खराब है और राजनीतिक रुप से दो मुखिया राज्य में और शैक्षणिक स्थिति यह है महोदय कि इनका एक भी इस जाति का आज तक न तो बी0डी0ओ0 बना है, न दारोगा बना है, न इंजीनियर बना है और न ही डाक्टर बना है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करुंगी कि वे इनका सर्वेक्षण करा लें और सर्वेक्षण कराके इसको अनुसूचित जाति में शामिल कराये महोदय,क्योंकि बहुत ही दयनीय स्थिति है।

अध्यक्षः- इस अनुरोध के साथ आप वापस कर लीजिये।

श्रीमती लेशी सिंहः- अध्यक्ष महोदय, इसपर माननीय मंत्री जी कुछ बोले, कम से कम सर्वेक्षण तो करा ले।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादवः- महोदय, इसको दिखवा लेंगे लेकिन जितना प्रस्ताव गया भारत सरकार में आज तक वहाँ इन्टरटेन ही नहीं किया गया,इसलिए आग्रह है कि इसे वापस ले लीजिये।

अध्यक्षः- अब वापस कर लीजिये।

श्रीमती लेशी सिंहः- ठीक है महोदय। मैं तो माननीय मंत्री जी से आग्रह करुंगी कि वे इसपर विचार करें, इस भाव के साथ मैं अपना प्रस्ताव वापस करती हूँ।

अध्यक्षः- सदन की सहमति से माननीय सदस्या श्रीमती लेशी सिंह जी का संकल्प वापस हुआ।

<u>क्रमांक-109, श्री कृष्ण कुमार ऋषि ।</u>

श्री कृष्ण कुमार ऋषिः- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ किः-